

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :-प. 3(3)साप्र/2/2024-03802

जयपुर, दिनांक : 04-09-2024

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तृतीय श्रेणी की ऑनलाईन वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	1424	Mrs PARUL PRADHAN (Section Officer, DOP)	31-Jul-2043	III-A-19, Multistorey Gandhi Nagar
2.	1425	Mr. NARENDRA mohan bhamu (Assistant Commercial Tax Officer, FD(Admin))	31-Oct-2048	III-A-6, Multistorey Gandhi Nagar
3.	1426	Ms. URMILA KUMARI (Assistant Professor, Hig. Edu)	30-Jun-2051	15/3 Malviya Nagar
4.	1427	Mrs DHARMITA CHAUDHARY (Public Relations Officer, LSG)	30-Sep-2047	III-A-8, Multistorey Gandhi Nagar
5.	1429	Mr. T C JOSHI (Section Officer, CMO)	31-May-2041	III-A-9, Multistorey Gandhi Nagar
6.	1436	Mrs. KANCHAN (Nurse Grade II, Med. Edu)	01-Oct-2052	15/4 Malviya Nagar
7.	1439	Mrs KAMLA VERMA (Programmer, CMO)	31-Jan-2042	III-A-16, Multistorey Gandhi Nagar
8.	1441	Mrs. Anukriti Sihag (Assistant Engineer, PHED)	30-Apr-2052	III-B-1, Multistorey Gandhi Nagar
9.	1442	MR. SHYAM SUNDER GUPTA (Assistant Accounts Officer Grade-I, Elec.)	31-Aug-2040	III-B-4, Multistorey Gandhi Nagar
10.	1443	Ms. REKHA JAT (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Dec-2050	15/5 Malviya Nagar
11.	1446	Mr. KULDEEP BARHATH (Assistant Director, FD(Admin))	31-Dec-2054	III-B-13, Multistorey Gandhi Nagar
12.	1450	Mrs. POOJA GUPTA (Lecturer, Sc. Edu)	30-Sep-2044	III-B-17, Multistorey Gandhi Nagar
13.	1451	Ms. KAMLESH KUMARI VERMA (Nurse Grade II, Med. Edu)	30-Apr-2046	15/7 Malviya Nagar
14.	1453	Ms. POOJA PAREWA (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Jul-2051	15/8 Malviya Nagar
15.	1454	Ms. SHAHNAJ BANO (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Mar-2053	15/10 Malviya Nagar
16.	1459	Mr. RAKESH KUMAR (Nurse Grade II, Med. Edu)	28-Feb-2046	15/11 Malviya Nagar
17.	1460	Mr. PRADEEP KUMAR (Nurse Grade II, Med. Edu)	30-Jun-2052	15/12 Malviya Nagar
18.	1461	Mr. SURESH KUMAR CHOUDHARY (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Jul-2050	15/13 Malviya Nagar
19.	1463	Mr. DUSHYANT SINGH (Assistant Engineer, WR)	30-Jun-2055	III-C-2, Multistorey Gandhi Nagar
20.	1464	Mrs REKHA GARG (Accounts Officer, FD(Admin))	31-Dec-2056	III-C-7, Multistorey Gandhi Nagar
21.	1465	Mr. Ravi Kumar Jangid (Assistant Engineer, PHED)	31-Jan-2055	III-C-11, Multistorey Gandhi Nagar
22.	1468	Ms. SRASHTI AGRAWAL (Assistant Engineer, WR)	31-Mar-2055	III-C-12, Multistorey Gandhi Nagar
23.	1469	Ms. Priyanka vimal (Assistant Engineer, PWD)	31-Oct-2056	III-C-16, Multistorey Gandhi Nagar
24.	1471	Dr. NEHA CHOUDHARY (Assistant Professor, Med. Edu)	31-Oct-2051	III-C-17, Multistorey Gandhi Nagar
25.	1472	Mr. Pratap Kumar Meena (Assistant Engineer, WR)	31-Aug-2053	15/14 Malviya Nagar
26.	1474	Mrs Madhuram Khandelwal (Senior Demonstrator, Med. Edu)	30-Jun-2047	15/15 Malviya Nagar



27.	1476	Mr. Brajesh Aggarwal (Assistant Engineer, CAD & WUD)	30-Apr-2055	15/16 Malviya Nagar
28.	1477	Mr. Abrar Ahmad Khan (Assistant Engineer, CAD & WUD)	31-Aug-2057	15/17 Malviya Nagar
29.	1483	Mr. NITESH RAJPUROHIT (Assistant Engineer, PHED)	30-Jun-2054	15/18 Malviya Nagar
30.	1484	Ms. POOJA MATHURIA (Assistant Engineer, PWD)	30-Apr-2057	15/19 Malviya Nagar
31.	1485	Mr. Rajeev Moond (Assistant Engineer, WR)	31-Jul-2057	15/20 Malviya Nagar
32.	1486	Mr. Mayankesh Meena (Assistant Engineer, PHED)	31-Jul-2056	15/22 Malviya Nagar
33.	1490	RAJESH KUMAR MEENA(Nurse Grade II, MHFW)	30-Jun-2045	15/23 Malviya Nagar
34.	1491	Ms. SAROJ kumara (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Oct-2045	15/24 Malviya Nagar
35.	1494	Mrs Tripti Khandelwal (Section Officer, Agr D)	31-May-2047	15/41 Malviya Nagar
36.	1495	Mr. DHARMRAJ ROLANIA (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Jul-2044	15/42 Malviya Nagar

**शर्तें :-**

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- क्रम सं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 एवं 24 के आवंटियों से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 225/- (अक्षरे दो सौ पच्चीस रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( मन मोहन गौड )  
वरिष्ठ उप शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

7. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/सिंचित क्षेत्र विकास, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करें।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर/अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करें।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आवंटियों मेंसे यदि किसी आवंटी को अस्थायी राजकीय आवास आवंटित हैं तो उन्हें उक्त आवंटित आवास का कब्जे लेने हेतु निर्देशित कर अस्थायी आवास रिक्त कराया जाना सुनिश्चित करे।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिकारीगण को ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
20. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय को सम्मिलवाने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव